न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डा0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 13/2017

गिर्राजसिंह पुत्र श्री काशीप्रसाद उम्र करीब 62 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली तहसील मंनिया जिला धौलपुर ———वादी

बनाम

1. निहालसिह 2– तेजसिंह पुत्रगण बेदरिया 3–राकेश पुत्र निहालसिंह
4. मुंशीलाल 5–भूरी पिसरान तेजसिंह
6. महेन्द्र 7– नेमीचन्द पुत्रगण अजबसिंह
8. दीनदयाल 9. विशम्वर 10– मुकेश पुत्रगण प्रतापसिंह

समस्त जाति गडरिया निवासीगण ग्राम वासनका पुरा (सिजरौली) तहसील मंनिया

11. रामवीर 12. भूरीसिंह 13. राजवीर 14 सतीश अकवाम गुर्जर निवासी वासन का पुरा
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ———प्रतिवादीगण

दावा वापिसी कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति– श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट– वादी की ओर से

प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 18.06.2024

वादी की ओर से वादपत्र इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 05 विस्वा, 88 रकबा 05 विस्वा बाके ग्राम सिजरौली का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी अकेला एवं वृद्व व्यक्ति है जबकि सभी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 आपस मे एक ही जाति के तथा परस्पर सहयोगी च ण्क ही परिवार के है जिन्होने वादी को नुकसान पंहुचाने के लिए आपस में षडयन्त्र कर रखा हैं। करीब 4 साल पूर्व वादी अपने निजी कार्य से बाहर गया था इस बीच प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 84 के 02 विस्वा रकबा पर अनाधिकार कब्जा कर लिया और उसमें अपना मकान निर्माण कर लिया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 10 ने खसरा नम्बर 83 जो कि खसरा नम्बर 84 से लगा हुआ है, खसरा नम्बर 83 में अवैध रूप से अपने मकान बना रखे है इसलिए उनके हौसले बुलन्द हैं इसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के विवादित खसरा नम्बर 84 के 02 विस्वा रकबा पर अबैध कब्जा कर लिया है। दूसरा खसरा नम्बर जो वादी का विवादित खसरा नम्बर 88 है उस खसरा नम्बर के सामने प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 14 द्वारा अपना निवास बना रखा है, चूंकि वादी के दोनो विवादित खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के मकानो से लगे हुए है इसलिए सभी प्रतिवादीगण ने वादी के बिरूद्व एक गिरोह बना लिया है और वे वादी को विवादित खसरा नम्बरान से बेदखल करने की योजनाऐ बना रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो अबैध रूप से वादी के विवादित खरा नम्बर 84 में 02 विस्वा भूमि पर मकान बनाया है इस बात का उलाहना वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मकान बनाने के तुरन्त बाद दिया कि वादी की भूमि में अबैध रूप से जो मकान बनाया है इस भूमि को खाली करके वादी को कब्जा सौंप दे तो प्रतिवादी संख्या 1 अब तक तरह तरह के आश्वासन देते चला आया मगर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के खसरा नम्बर 84 पर किये गये अबैध कब्जे को खाली नही किया है। अन्तिम वार वादी द्वारा दिनांक 26.4.2017 को जब प्रतिवादी संख्या 1 को कहासुनी की गयी तो वह नाराज हो गया और उसने सभी प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 को अपने साथ मिलाकर वादी को यह साफ चेतावनी दी कि आज के बाद अगर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से किसी प्रकार की कहासुनी करने की चेष्ठा की तो सभी प्रतिवादीगण मिलकर वादी की विवादित कृषि भूमि दोनो खसरा नम्बर पर कब्जा कर लेगें। वादी ने निवेदन किया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित खसरा नम्बर 84 के 02 विस्वा जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उस पर से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल किया जाकर वादी का आधिनत्य कराया जावे। समस्त प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी के विवादित खसरा नम्बरान पर जबरन कब्जा करने की या वादी को बेदखल करने की चेष्ठा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणो के द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किये जाने पर उनके बिरूद्व दिनांक 9.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य मे

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्स–1 पेश की गई तथा मौखिक साक्ष्य में शपथपत्र व्यान वादी पी0डब्लू–1 कराया गया।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई उन्होने अपने तर्को में वादपत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है किन्तु प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है और प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 84 मे 02 विस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर निर्माण कर लिया है, प्रतिवादी संख्या 1 का साथ अन्य प्रतिवादीगण दे रहे हें जबकि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण के द्वारा जानबूझ कर न्यायालय के सम्मन को लेने से इन्कार कर दिया गया वह उंपस्थित भी नही हुए और ना ही कोई उज्रदारी पेंश की गई। उन्होने दौराने बहस विवांदित आराजी के संबंध में वर्तमान जमाबन्दी सं0 2076–79 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि दावा वादी बिरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अबैध कब्जा से उसको बेदखल करने एवं सभी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

बहस बिद्वान अभिभाषक वादी पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2076–79 ग्राम सिजरोली खाता संख्या 51 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 एवं 88 का वादी रिकार्डेड खातेदार दर्ज हे, वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 के 02 विस्वा भाग पर अबैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वादी के इस कथन को गलत सिद्व करने के लिए प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए और ना ही उनकी ओर से कोई जबाव ही पेश किया गया। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण पर लगाये गये आरोप का गलत सिद्व करने के लिए किसी भी प्रकार की जबावदेही नही करना वादी के कथनो को बल मिलता है और यह साबित करना है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विवादित खसरा नम्बर 84 के 02 विस्वा भाग पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है साथ ही अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी प्रकरण में कोई जबावदेही नही करना भी वादी के कथनो का सिद्व करता है। अतः हम दावा वादी बिरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना सचित समझते है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि दावा वादी बिरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को ग्राम सिजरौली तहसील मंनिया की आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0632 हैक्टेयर के 02 विस्वा रकबा पर किये गये अबैध से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के आराजी खसरा नम्बर 84 एवं 88 ग्राम सिजरौली तहसील मंनिया पर जबरन कब्जा करने या वादी के बेदखल करने की चेष्ठा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को सुनाया गया।

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर